

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रमाण-पत्र

सत्र 2023-24 हेतु CBSE/CISCE/CAIE नई रिट्सी से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार के पत्रक, प.14(८)शिक्षा. १/2009/पार्ट-४ प्राप्ति हेतु नियुक्ति शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल वर्ष 2023-24 के लिए ही भाग होगा।
2. विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा संशोधित नियम 2011 की पालना की जावेगी।
3. विद्यालय/ संस्था द्वारा राज्य/सार्वजनिक स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बालबालियों के क्रम में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अक्षरता: पालना की जावेगी।
5. विद्यालय/संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / नियमों की हितों जाना सुनिश्चित करना होगा।
6. विद्यालय द्वारा (ठे स्कॉलर/बोर्डिंग) कक्षा 1 से ही कक्षाओं वा संचालन मायता प्रदत्त स्तर तक किया जाना होगा।
7. विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मायता प्राप्त है तो CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता मिलने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को सूचित करना होगा। साथ ही विद्यालय की राजस्थान बोर्ड से सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
8. विद्यालय में अधिकारियों द्वारा विद्यालय की संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त किया जाना होगा।
9. विद्यालय/संस्था परिसर में मोबाइल टावर स्थापित नहीं करेगी।
10. राजस्थान विद्यालय (पीसीए के विनियम) अधिनियम - 2016 नियम 2017 में वर्गित शर्तों की पालना की जानी होगी।
11. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय-समय पर विभाग एवं शासन द्वारा बोर्डिंग रिकार्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
12. विद्यालय में दिव्यांग जनों के लिए ऐम्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जायेगी।
13. भारत सरकार/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जानी होगी।
14. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिग्रहण/उपयोग राजकीय कार्य के लिए किया जा सकेगा।
15. विद्यालय द्वारा मान्यता/क्रमोन्त्रित प्राप्त कक्षा स्तर तक ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

नीट:- अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में जारी शासन के पत्र दिनांक १५/२३/२०२३ के क्रम में यदि सर्वानुसारी गई है तो उन शर्तों की पालना करनी अनिवार्य होगी।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम-1989 एवं संशोधित नियम 2011 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालयों को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संवालन नहीं कर सकेगी।

जिला	SIKAR	ब्लॉक	PIPRALI
विद्यालय का नाम	TAGORE INTERNATIONAL SR SEC SCHOOL SIKAR (P25593)		
संवंधिता (CBSE/CISCE/CAIE)	CBSE		
एन.ओ.सी. प्रमाण जारी करने का सत्र	2023-24	माध्यम	Both (Hindi/English)
विद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर	Sr. Secondary (1-12)	एन.ओ.सी. हेतु कक्षा स्तर	Sr. Secondary (1-12)

नोट:- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग विद्यालय को विभाग द्वारा जारी मान्यता कक्षा स्तर/सकाय/विषय/माध्यम के संबंध में ही उपयोग किये जाने हेतु सम्बद्धता की एनओसी प्रदान की जाती है।

The Section and its record shall be opened for inspection by an Officer/Official of the Board or an authorized representative of Board/State educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.

The school Management shall be having full responsibility if any court case arise in this regard. The details furnished if any by the management is found to be false or incorrect at any stage, this No Objection Certificate is liable to be cancelled


निदेशक
आई.ए.एस

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

नोट: NIC विभिन्न स्कूलों / डीईओ (मासिं) / निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए विस्तृत प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डाटा में विस्तृत प्रकार की विसमाति के लिए स्कूल / डीईओ(मासिं) / निदेशालय जिम्मेदार होते हैं।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा /पीएसपी-सी /अ-2 /60567 /क्र. मा. शि. बो./2023-24/ 200-201

दिनांक: 27-05-2023

TO

विद्यालय का नाम :- TAGORE INTERNATIONAL SR SEC SCHOOL
SIKAR (P25593)

From

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

विद्यालय का वर्तमान पता :- KISAN COLONY

संस्था का नाम :- SHRI RISHIKUL VIDHYAPEETH SHIKSHA
SAMITEE SIKAR

आवेदन क्रमांक :- 42345

एनओसी कोड:- RJSKR32773


Sir/Madam,

विषय:- सत्र 2023-24 के लिए श्री.बी.एस.सी.ई./सॉ.आई.एस.सी.इ /सीएआईई नई विस्ती से संबद्धता प्राप्त करने हेतु गेर सरकारी विद्यालय TAGORE INTERNATIONAL SR SEC SCHOOL SIKAR (P25593) KISAN COLONY को अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 तथा राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 के अधीन उप पञ्चीयक कार्यालय द्वारा पञ्चीकृत संस्था SHRI RISHIKUL VIDHYAPEETH SHIKSHA SAMITEE SIKAR के अन्तर्गत संवालित गेर सरकारी विद्यालय TAGORE INTERNATIONAL SR SEC SCHOOL SIKAR (P25593) को शैक्षिक सत्र 2023-24 से प्रदत्त कक्षा 01 से 08 तक की मान्यता के संदर्भ में।

विद्यालय का विवरण -

विद्यालय का नाम -	TAGORE INTERNATIONAL SR SEC SCHOOL SIKAR (P25593)
सर्वे संख्या /प्लॉट संख्या / खसरा संख्या / पता -	KISAN COLONY
गांव/पाहाड़ -	NAGAR PARISHAD Sikar
तहसील/कस्बा -	PIPRALI
मान्यता कोड -	RJSKR32773
विद्यालय का पीएसपी कोड	P25593


Principal
 Tagore International Sr. Sec. School
 Kisan Colony, SIKAR
 Aff. No. -1731167

नोट: NIC विभिन्न स्कूलों / डीईओ (मा.शि.) / निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए दाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। दाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / डीईओ(मा.शि.) / निदेशालय जिम्मेदार होता है।


सचिव

श्री ऋषिकुल विद्यापीठ शिक्षा समिति